खण्ड–1

प्रस्तावना

1.1 उद्देशिका (मिशन स्टेटमेंट)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, का गठन राज्य शासन द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अनुसरण में किया गया है। आयोग उक्त अधिनियम तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करता है। आयोग का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि विद्युत, जो कि विकास का एक अति महत्वपूर्ण घटक है, वाणिज्यिक नीति पर आधारित होते हुए भी, ऐसे मूल्य पर उपलब्ध हो जो जन–साधारण की पहुँच में हो। आयोग राज्य में विद्युत के क्षेत्र में सुधार हेतु ऐसे दिशा–निर्देश एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु क्रियाशील है जिनसे दक्षता, मितव्ययिता, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन हो एवं उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो। अपने कार्य को संपन्न करने हेतु आयोग, इस विषय से संबंधित समस्त व्यक्तियों विशेषतः उपभोक्ताओं की भागीदारी प्राप्त करने के प्रति सदा–सर्वदा सजग है। आयोग, राज्य में ऐसे विनियमित परिवेश की स्थापना करने हेतु प्रयत्नशील है जिससे प्रदेश में विद्यमान ताप–विद्युत एवं जल–विद्युत तथा विद्युत के नवीन तथा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों की प्रचुर संभावनाओं का समुचित दोहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिले तथा साथ ही साथ पर्यावरण की स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव भी न हो।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 में आयोग को सौंपे गये विभिन्न कृत्यों का निर्वहन करने के अनुक्रम में वर्ष 2007 एवं 2008 में आयोग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विनियम बनाए गए तथा याचिकाओं का निराकरण किया गया। प्रतिवेदित वर्ष (2007 एवं 2008) में आयोग द्वारा किये गए उपरोक्त कार्यों तथा अन्य कार्यों का संक्षिप्त वर्णन प्रतिवेदन में किया गया है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के साथ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम 2005 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में आयोग की गतिविधियों का विवरण आगामी वर्ष में आयोग द्वारा तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। विद्युत अधिनियम की धारा 104(4) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित वार्षिक लेखे एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन भी आयोग द्वारा राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। उक्त दोनों प्रतिवेदन तथा संपरीक्षित वार्षिक लेखे राज्य शासन द्वारा विधान–सभा के पटल पर रखे जाते हैं। इस प्रतिवेदन में आयोग का वर्ष 2007 एवं 2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के संपरीक्षित वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत हैं।

1.2 आयोग की स्थापना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 82 में निहित प्रावधानों के अधीन अधिसूचना क्रमाँक

3190/S/E/2002/ दिनाँक 23/08/2002 सहपठित अधिसूचना क्रमाँक 432/R/352 दिनाँक 11/05/2004 के द्वारा किया गया। राज्य शासन के आदेश क्रमांक F-1/38/2004/13/1 दिनाँक 10/06/2004 के द्वारा आयोग में श्री एस. के. मिश्र, अध्यक्ष तथा श्री शरत चंद्र, सदस्य के पदों पर नियुक्त किये गये। अधिनियम के अनुसार आयोग के अध्यक्ष आयोग के मुख्य कार्यपालक होते हैं। आयोग में नियुक्ति के पूर्व श्री एस.के. मिश्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त), छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव के पद पर सेवारत थे तथा श्री शरत चंद्र छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में सचिव तथा सदस्य (पारेषण एवं वितरण) के पद पर लगभग सवा दो साल सेवाएँ देकर सेवानिवृत्त हुए थे। अध्यक्ष एवं सदस्य ने दिनाँक 01 जुलाई, 2004 को पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के पश्चात् आयोग में अपना पद भार संभाला। श्री शरद चंद्र, सदस्य दिनांक 22/03/2008 को आयोग में अपना कार्यकाल पूर्ण कर कार्यमुक्त हुये। राज्य शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ–1–7/13/1/2007, रायपुर, दिनांक 19/03/2008 के द्वारा आयोग के द्वितीय सदस्य के पद पर श्री बी.के. शर्मा की नियुक्ति की गई। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्य का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार हैः–

श्री एस.के. मिश्र (अध्यक्ष)

श्री एस. के. मिश्र आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। आपको इंग्लैड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा क्वीन एलीजाबेथ अधिसदस्यता प्रदान की गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1968 बैच के म.प्र. कैडर के अधिकारी श्री एस.के. मिश्र नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम प्रमुख सचिव (वित्त) एवं जनवरी 2003 तक अतिरिक्त सचिव (वित्त) के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत् रहने के उपरान्त फरवरी 2003 से जून 2004 तक राज्य के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत् रहे। श्री मिश्र भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, मंत्रिमण्डलीय सचिवालय में संयुक्त सचिव एवं रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के वरिष्ठ पदों पर सफलतापूर्वक कार्यरत् रहे। आप छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के संस्थापक अध्यक्ष हैं। नये राज्य में विगत चार वर्षों में आयोग को नवस्वरूप, स्थिरता जैसा चुनौतीपूर्ण कार्य आपके कार्यकाल में पूर्ण हो सका। आयोग के लिए नवीन भवन व उपयुक्त स्थल की तलाश आपके प्रयासों से ही संभव हो सकी।

श्री बी.के. शर्मा (सदस्य)

श्री बी.के. शर्मा ने शासकीय इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी कॉलेज, रायपुर से वर्ष 1968 में विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। श्री शर्मा की प्रथम नियुक्ति मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में सहायक अभियंता के पद पर हुई। उन्होंने विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएँ प्रदान की तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में मुख्य अभियंता व सदस्य सचिव के पद तक पहुँचे। श्री शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से सदस्य (पारेषण एवं वितरण) के पद से वर्ष 2005 में सेवानिवृत्त हुए। आपने अपने कार्यकाल में छ.ग. विद्युत मंडल को नये आयाम तक पहुँचाया। श्री शर्मा ने दो वर्ष तक अपनी अवैतनिक सेवाएँ छत्तीसगढ़ स्टेट सेंटर ऑफ दि इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) को अध्यक्ष के रूप में प्रदान की। 24 मार्च

2008 से श्री शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त हैं।

1.3 आयोग का कार्य स्थल

आयोग का कार्यालय वर्तमान में रायपुर के प्रमुख मार्ग जी.ई.रोड स्थित किराये के भवन में है। आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन से कार्यालय भवन निर्माण हेतु शासकीय भूमि प्रदान करने का निवेदन किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ–4–146 / सात–1 / 06 दिनाँक 13.11.06 के द्वारा आयोग को शांति नगर रायपुर खास प.ह.नं. 106 अ स्थित भूमि खसरा नं. 527 में से 60X40=2400 वर्गमीटर भूमि कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रदान की गई है। आयोग द्वारा भूमि पर आधिपत्य गत वर्ष में ले लिया गया था। आयोग द्वारा कार्यालय भवन का निर्माण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया। दिनाँक 01.12.2007 को नवीन कार्यालय भवन का शिलान्यास छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कर कमलों से संपन्न हुआ। भवन का निर्माण कार्य जारी है भवन के निर्माण में सी.डी.एम. (क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट) के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा भवन में 50 किलोवॉट क्षमता के सौर–ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है।

————00000————

खण्ड–2

मानव संसाधन एवं उनका विकास

2.1 आयोग का संगठनात्मक चार्ट :–

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त कर आयोग के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से आयोग में विभिन्न पदों का सृजन किया गया है। आयोग का वर्तमान संगठनात्मक चार्ट निम्नानुसार है :

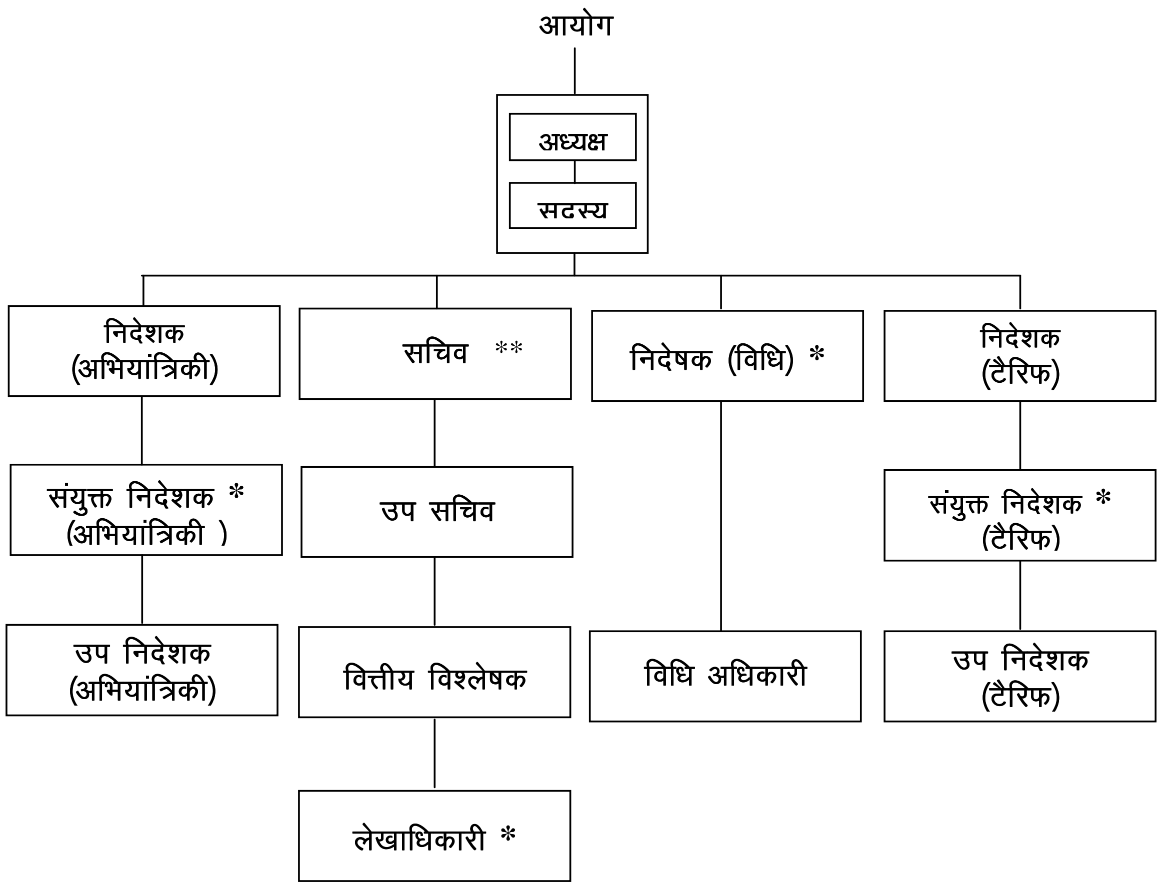

* 31.12.2007 तक की स्थिति में पद रिक्त ।

** 31.12.2007 की स्थिति में सचिव के अतिरिक्त कार्य दायित्व का निर्वहन निदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा किया जा रहा है ।

2.2 आयोग में वर्ष 2007 एवं 2008 में सेवारत् अधिकारी

सृजित पदों को भरने के उद्देश्य से आयोग में अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति तथा संविदा नियुक्ति द्वारा की गई। वर्ष 2007 एवं 2008 में आयोग में निम्नलिखित अधिकारी सेवारत रहे :–

क्रमाँक	नाम	पद	पदभार ग्रहण करने की दिनाँक
1.	श्री डी.के. दीवान	निदेशक (टैरिफ)	04.10.2004
2.	श्री एन. के. रूपवानी	निदेशक (अभियांत्रिकी), सचिव का अतिरिक्त प्रभार 10.10.2005 से	04.10.2005
3.	श्री अजय श्रीवास्तव	उप सचिव (संयुक्त निदेशक (अभियांत्रिकी) का अतिरिक्त प्रभार दिनाँक 10–10–2005 से)	06.08.2004 से 31.08.2007 तक
4.	श्री जी.एस. वर्मा	उप सचिव	11.10.2007
5.	श्री मुकेश नाहर	संयुक्त निदेशक	28.09.2004 से 31.03.2008 तक
6.	श्री अजय जैन	वित्तीय विश्लेषक	30.09.2004 से 28.02.2009 तक
7.	श्री एस.पी. शुक्ला	उप निदेशक (अभियांत्रिकी)	21.10.2004
8.	श्री हरेश सतपथी	उप निदेशक (टैरिफ)	30.12.2004 से 08.07.2008 मे
9.	श्री व्ही.के. अग्रवाल	उप निदेशक	03.10.2008
10.	श्री विवेक गनोदवाले	विधि अधिकारी	10.12.2004
11.	श्री एम.ए. मुस्तफा	कनिष्ठ लेखाधिकारी	25.09.2008

1. **श्री डी.के. दीवान, निदेशक (टैरिफ)** :– 1968 में बी.ई. (इलेक्ट्रीकल) की उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त श्री डी.के. दीवान, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में स्नातक प्रशिक्षु के रूप में अपनी सेवा आरंभ करके लगभग 35 वर्षों में विभाग की प्रशासनिक सीढ़ियों पर क्रमशः चढ़ते हुए 2004 में मुख्य अभियंता के पद पर आसीन हुए। इस पद पर रहते हुए श्री डी.के. दीवान ने मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार भी अतिरिक्त रूप से वहन किया। मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल और मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग में समय–समय पर आयोजित महत्वपूर्ण सेमीनारों के अतिरिक्त श्री डी.के. दीवान 1994 में, सेनफ्रांसिस्को (अमेरिका) में पर्यावरण प्रभाव पर 1½ माह का विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं।

2. **श्री एन.के. रूपवानी, निदेशक (अभियांत्रिकी):–** मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई. (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त करने के बाद, मझगांव डॉक्स लिमिटेड, बॉम्बे एवं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कनिष्ठ अभियंता के रूप में लगभग दो वर्ष कार्य करने के उपरान्त 07/03/1974 को मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में सहायक अभियंता के रूप में अपनी सेवा आरंभ की। मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव और मुख्य अभियंता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहकर आपने योजना–कार्य, संचालन एवं संधारण और निर्माण कार्यों को नई दिशाएं दी हैं। मंडल के समस्त थर्मल पावर स्टेशन्स के लिए क्षमता आंकलन जैसा महत्वपूर्ण कार्य आपने संपन्न किया था। चौदह वर्षों से लंबित 850 के.व्ही. मिनी हाइडल पावर स्टेशन कोरबा (पश्चिम) को प्रारंभ करना और कोरबा पश्चिम थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण स्वीकृति जैसे कार्य आपके द्वारा संपन्न कराये गये। विद्युत मण्डल द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं का सकारात्मक हल, वेतन–निर्धारण आदि कार्यों में दक्षता के लिए 15 अगस्त 1996 में आपको उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में आप 10 अक्टूबर 2005 से सचिव का अतिरिक्त प्रभार वहन कर रहे हैं।

3. **श्री अजय श्रीवास्तव, उप सचिव** :– बी.ई. (इलेक्ट्रीकल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत् श्री अजय श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में प्रतिनियुक्ति पर उप सचिव के पद पर दिनांक 06/08/2004 से अपनी सेवाएं प्रारंभ की। उप सचिव और संयुक्त निदेशक (अभियांत्रिकी) के पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य करते हुए आपने दिनांक 31/08/2007 को आयोग में अपनी तीन वर्षों की सेवा पूर्ण की। सम्प्रति श्री अजय श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ हैं।

4. **श्री जी.एस. वर्मा, उप सचिव :–** बी.ई. (सिविल), एम.आई.ई. इंडिया, एलएल.बी., एम. ए. (लोक प्रशासन), बेचलर ऑफ जर्नलिजम एण्ड मास कम्यूनिकेशन। मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग में 1969 से 2001 तक विभिन्न पदों पर कार्य करने के उपरान्त 2001 में छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, अवर सचिव, एवं, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में कुल सचिव के रूप में कार्य करने के उपरान्त सितंबर, 2007 में छ.ग. प्रशासन अकादमी से कार्यपालन अभियंता के पद से सेवानिवृत्त। श्री वर्मा इंडियन वाटर रिसोर्सेस सोसायटी (रूड़की विश्वविद्यालय) के सदस्य हैं। श्री जी.एस. वर्मा अक्टूबर, 2007 से छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग में उपसचिव के रूप में संविदा पर कार्यरत् है।

5. **श्री मुकेश नाहर, संयुक्त निदेशक** :– बी.ई. (इलेक्ट्रीकल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत् श्री मुकेश नाहर ने दिनांक 28.09.2004 को प्रतिनियुक्ति पर आयोग में संयुक्त निदेशक (टैरिफ) के पद पर अपनी सेवा आरंभ की। तकनीकी दक्षता और क्षमता को ध्यान में रखकर श्री मुकेश नाहर को निदेशक (टी.आर.ई.) के पद पर पदस्थ किया गया। दिनांक 04.04.

2008 को आयोग में अपनी कार्यावधि पूर्ण करके श्री मुकेश नाहर, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत् हैं।

6. **श्री अजय जैन, वित्तीय विश्लेषक** :– बी.कॉम., एफ.सी.ए. (चार्टर्ड एकाउंटेण्ट)। लेखांकन, वित्त, लेखा–संपरीक्षा, करारोपण, वित्तीय विश्लेषण के क्षेत्र में आयोग की सेवा में आने के पूर्व 17 वर्ष का अनुभव। श्री जैन आयोग में वित्तीय विश्लेषक के साथ–साथ आयोग के आंतरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में दिनांक 30.09.2004 से 28.02.2009 तक कार्यरत् रहे। वर्तमान में श्री अजय जैन भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली में महाप्रबंधक (लेखा) के पद पर कार्यरत् हैं।

7. **श्री एस.पी. शुक्ला, उप निदेशक (अभियांत्रिकी)** :– शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर से बी. ई. (मेकेनिकल) की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत श्री शुक्ला ने 11 वर्षों तक विद्युत संयंत्रों में कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, ताप–विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण व आधुनिकीकरण का कमीशनिंग प्रबंधक के पद पर कार्य किया। दिनांक 21/10/2004 से आयोग में उप निदेशक (अभियांत्रिकी) के पद पर कार्यरत् हैं।

8. **श्री हरेश सतपथी, उप निदेशक (टैरिफ)** :– बी.एस.सी. (इलेक्ट्रीकल) तथा एम.बी.ए. (वित्त)। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पारादीप फॉस्फेट में विद्युत संयंत्र में तकनीकी व वाणिज्यिक कार्य–प्रचालन व अनुरक्षण के कार्यों का अनुभव तथा 11 वर्षों तक उप–प्रबंधक के पद पर कार्यरत् रहे। अन्य सरकारी व निजी औद्योगिक इकाईयों में भी वैद्युतीक अभियांत्रिकीय कार्य का अनुभव। आयोग में उपनिदेशक के पद पर दिनांक 30.12.2004 से दिनांक 08.07.2008 तक सेवारत् रहे।

9. **श्री व्ही.के. अग्रवाल, उप निदेशक** :– बी.ई (विद्युत अभियांत्रिकी) तथा 1988 में इग्नू से मानव संशाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की परीक्षा। वर्ष 2004 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी, नई दिल्ली (भारत सरकार) द्वारा आयोजित प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ऊर्जा अंकेक्षक व ऊर्जा प्रबंधक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। श्री व्ही.के. अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल दिनांक 01/10/2008 से आयोग में प्रतिनियुक्ति पर उप निदेशक के पद पर कार्यरत् हैं।

10. **श्री विवेक गनोदवाले, विधि अधिकारी** :– बी. कॉम, एल.एल.बी.। मई 1988 से मुख्यतः जिला न्यायालय रायपुर में सफल अभिभाषक रहे। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम तथा औद्योगिक न्यायालयों हेतु गठित व रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिवक्ताओं के पेनल में रह चुके हैं। दिनांक 10/12/2004 से आयोग में विधिक अधिकारी के पद पर कार्यरत् हैं।

2.3 आयोग के अधिकारियों की कार्यकुशलता के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमः–

विगत वर्षों की भांति वर्ष 2007 एवं 2008 में भी आयोग द्वारा अपने अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थानों में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, तथा टैरिफ के विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजा जिससे उनकी कार्यकुशलता में आधुनिकतम–आवश्यकतानुरूप अभिवृद्धि हो सके ।

विवरण

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम / विषय	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था का नाम व स्थान	अवधि
1.	श्री मुकेश नाहर संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए.बी.टी.) प्रभाव	नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद	1 दिन (12.01.2007)
2.	श्री एस.पी. शुक्ला उप निदेशक (अभियांत्रिकी)	उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए.बी.टी.) प्रभाव	नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद	1 दिन (12.01.2007)
5	श्री एस.पी. शुक्ला उप निदेशक (अभियांत्रिकी)	केपेसिटी बिल्डिंग	फोरम ऑफ रेग्यूलेटर्स, कानपुर	6 दिन (30.06.2008 से 05.07.2008)
6	श्री हरेश कुमार सतपथी उप निदेशक(टैरिफ)	केपेसिटी बिल्डिंग	फोरम ऑफ रेग्यूलेटर्स, कानपुर	6 दिन (30.06.2008 से 05.07.2008)
3	श्री एस.के. मिश्र, अध्यक्ष	इन्ट्रोडक्शन टू एनर्जी रेग्यूलेशन	एनर्जी रेग्यूलेटर्स रिजनल एसोसिएशन, बुढ़ापेस्ट, हंगरी	5 दिन (14.07.2008 से 18.07.2008)
4	श्री बी.के. शर्मा सदस्य	इन्ट्रोडक्शन टू एनर्जी रेग्यूलेशन	एनर्जी रेग्यूलेटर्स रिजनल एसोसिएशन, बुढ़ापेस्ट, हंगरी	5 दिन (14.07.2008 से 18.07.2008)
8	श्री एन.के. रूपवानी सचिव	रेग्यूलेटरी एण्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर मार्केट डवलपमेंट फॉर रिन्यूवेबल एनर्जी	वर्ल्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी,, नई दिल्ली	2 दिन (23.07.2008 से 24.07.2008)
9	श्री एस.पी. शुक्ला उपनिदेशक (अभियांत्रिकी)	रेग्यूलेटरी एण्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर मार्केट डवलपमेंट फॉर रिन्यूवेबल एनर्जी	वर्ल्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी,, नई दिल्ली	2 दिन (23.07.2008 से 24.07.2008)
7	श्री एम.ए. मुस्तफा कनि. लेखाधिकारी	बजट, लेखा एवं आडिट	छ.ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर	6 दिन (22.12.2008 से 27.12.2008)

खण्ड–3

आयोग के कृत्य, कार्यवाहियां, शक्तियां एवं उसकी कार्यप्रणाली

3.1 **आयोग के कृत्य** – विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है :–

(i) राज्य के भीतर विद्युत के उत्पादन, प्रदाय/आपूर्ति, पारेषण और Wheeling (व्हीलिंग) थोक विक्रय, थोक या फुटकर आपूर्ति के लिये टैरिफ का निर्धारण।

(ii) वितरण लायसेंसी द्वारा राज्य में प्रदाय के लिये जिस दर से विद्युत का क्रय किसी उत्पादक कंपनी, लायसेंसधारी विद्युत व्यापारी, अथवा अन्य स्त्रोतों से किया जाता है, उस प्रक्रिया एवं दर का विनियमन करना।

(iii) राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण तथा व्हीलिंग सुगम बनाने के लिये आवश्यक उपाय करना ।

(iv) राज्य में पारेषण, वितरण और विद्युत व्यापार के लिये लाइसेन्स प्रदाय करना।

(v) नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के स्त्रोतों से ग्रिड से संयोजन के लिये उपयुक्त उपाय करना, विद्युत के सह–उत्पादन तथा उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा वितरण लायसेन्सी के क्षेत्र में विद्युत की कुल खपत के प्रतिशत, ऐसे स्त्रोतों से विद्युत की खरीद के लिए भी विनिर्दिष्ट करना ।

(vi) लायसेन्सियों और उत्पादन कम्पनियों के बीच विवादों का निपटारा करना और माध्यस्थम (arbitration) के लिये किसी विवाद को Refer (निर्दिष्ट) करना।

(vii) धारा 79 के अधीन विनिर्दिष्ट केन्द्रीय ग्रिड कोड से सुसंगत (consistent) राज्य ग्रिड कोड का बनाना।

(viii) लायसेन्सी के द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के बारे में मानकों (standards) का निर्धारण करना तथा प्रभावशील करना ।

(ix) यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य के भीतर विद्युत के व्यापार में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना ।

(x) अधिनियम के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो आयोग को सौंपे जाए।

(2) आयोग राज्य सरकार को निम्नलिखित मामलों पर परामर्श दे सकता है:–

(i) विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा, दक्षता, और मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना;

(ii) विद्युत उद्योग में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देना;

(iii) राज्य में विद्युत मण्डल का पुनर्गठन और पुनः संरचना एवं

(iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण और व्यापार सम्बन्धी मामले या कोई अन्य मामला जो शासन द्वारा राज्य आयोग को सौंपा गया हो ।

अधिनियम में आयोग को अपनी शक्तियों के प्रयोग में तथा कार्य के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश है।

आयोग अपने कार्य के निर्वहन में राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना, और धारा 3 के अधीन प्रकाशित टैरिफ नीति से मार्गदर्शन लेता है।

3.2 आयोग की कार्यप्रणाली

अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि आयोग अपने कार्य निष्पादन में पूर्ण पारदर्शिता बरतेगा एवं इसमें उपभोक्ताओं से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करेगा। आयोग की कार्यप्रणाली न्यायिक कार्यप्रणाली के तुल्य है। आयोग को अपने कार्य के निष्पादन करने के संबंध में विनियम बनाने का अधिकार है। उपरोक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा ''कार्य संचालन विनियम, 2004 ''बनाया गया है। इस विनियम में आयोग की कार्य प्रणाली विस्तृत रूप में दी गई। इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैः–

- कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष निर्धारित रीति से आवेदन/याचिका प्रस्तुत कर सकता है ।
- याचिका शुल्क लाईसेंसी या किसी कंपनी या व्यक्ति के मामले में प्रकरण की विषयवस्तु के अनुसार अलग–अलग निर्धारित हैं ।
- प्रत्येक व्यक्ति, जिसे जाँच या याचिका के बारे में सूचना–पत्र जारी किया गया है, वह अपना उत्तर समस्त प्रतिलिपियों सहित निर्धारित समय–सीमा में आयोग के सामने प्रस्तुत करेगा ताकि मामले की सही जाँच समुचित रूप से की जा सके ।
- आयोग के सामने संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकेगा या कार्यवाही एवं पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति नियुक्त कर सकता है ।
- आयोग निर्धारित मामले की सुनवाई आवेदन के क्रमानुसार निश्चित स्थान, दिनाँक तक समय निर्धारण कर अधिनियम के तहत् निपटाने की कोशिश करेगा।
- आयोग किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या किसी मामले के दौरान कोई भी अंतरिम आदेश, जो वह उचित समझे, जारी कर सकता है ।
- विद्युत अधिनियम के अनुसार आयोग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों का हल, विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर शुरू कर सकेगा। यह पूरी प्रक्रिया माध्यमस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत संचालित की जायेगी ।

- आयोग आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिये जाँच, अनुसंधान, प्रवेश, खोज एवं जब्ती के लिए आदेश कर सकेगा ।

- यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी अनुज्ञप्ति के किसी नियम, शर्त या अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो आयोग विद्युत अधिनियम की धारा 128 के तहत् उनके विरूद्ध लिखित आदेश देकर उसके काम–काज की जाँच करा सकता है ।

- यदि आयोग के किसी नियम–कानून का उल्लंघन होता है तो वह पक्षकार के शिकायत के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करवाने की कार्यवाही कर सकता है ।

- इसके साथ यदि व्यक्ति निर्धारित तिथि में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियम/कानून या प्रावधानों को लागू करने में आयोग यदि कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह सामान्य या विशेष आदेश उस कठिनाई को दूर करने के लिए जारी कर सकता है ,जो विद्युत अधिनियम के सम्मत हो।

- आयोग के समक्ष सभी मामलों की सुनवाई खुले रूप से होती है जहाँ कोई भी संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकता है। उपर्युक्त मामलों में उपभोक्तओं के पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

3.3 आयोग की शक्तियाँ

विद्युत अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये वही शक्तियाँ प्राप्त है, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 (5/1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में निहित की गई हैं, नामतः–

(i) किसी व्यक्ति की उपस्थिति हासिल करने के लिये समन करना और उसका शपथ पर परीक्षण करना ;

(ii) किसी (विलेख) दस्तावेज की खोज कर प्राप्ति और उसकी प्रस्तुति के लिये या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य अन्य महत्वपूर्ण विषय (object);

(iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना/ग्रहण करना;

(iv) किसी लोक अभिलेख को तलब करना ।

(v) साक्षियों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना;

(vi) अपने विनिश्चयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन (reviewing) करना;

(vii) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

(2) आयोग को किसी कार्यवाही में, सुनवाई करते समय या कोई मामला जो आयोग के समक्ष हो और जैसा आयोग समुचित समझे ऐसा अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्तियाँ है।

(3) आयोग, उपभोक्ताओं के हित का अपने समक्ष कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

3.4 आयोग के समक्ष कार्यवाहियाँ

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 95 के अनुसार समस्त कार्यवाहियाँ आयोग के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता (45/1860) की धाराओं 193 तथा 228 के आशयों के भीतर न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाएगी और आयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रीमनल प्रोसीजर कोड, 1973 (2/1974)) की धाराओं 345 तथा 346 के प्रयोजनों के लिये सिविल कोर्ट समझा जायेगा ।

————00000————

खण्ड–4

राज्य सलाहकार समिति

4.1 राज्य सलाहकार समिति

विद्युत अधिनियम की धारा 88 में राज्य सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। राज्य सलाहकार समिति निम्नलिखित विषयों पर आयोग को परामर्श दे सकेगी:–

(1) मुख्य नीतिगत मुद्दों पर;

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विस्तार से संबंधित विषयों पर;

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं अपेक्षाओं के अनुपालन पर;

(4) उपभोक्ता हित संरक्षण पर; एवं

(5) यूटिलिटी द्वारा विद्युत प्रदाय एवं कार्य निष्पादन के मानकों पर।

सलाहकार समिति का गठन आयोग की अधिसूचना दिनाँक 25.02.2005 के द्वारा किया गया था। दिनाँक 31.12.08 की स्थिति में राज्य सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:–

1.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर	अध्यक्ष	पदेन
2.	सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर	सदस्य	पदेन
3.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर	सदस्य	पदेन
4.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, रायपुर एवं	सदस्य	पदेन
5.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, रायपुर	सदस्य	अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि
6.	महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर या उनके	सदस्य	परिवहन के प्रतिनिधि
7.	प्रबंध संचालक, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई या उनके	सदस्य	बड़े उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि
8.	महापौर, रायपुर नगर पालिक निगम, रायपुर या उनके	सदस्य	उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि
9.	अध्यक्ष, कंफडेरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज, छत्तीसगढ़ चैप्टर, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि
10.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि
11.	अध्यक्ष, उरला इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि

12.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ, बिलासपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि
13.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज रायपुर	सदस्य	वाणिज्य के प्रतिनिधि
14.	श्री ललित सिंघानिया, रायपुर	सदस्य	गैरसरकारी / अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि
15.	श्री रामचन्द्र चेट्टी, कोरबा	सदस्य	श्रमिकों के प्रतिनिधि
16.	श्री अरूण कुमार चौबे, रायपुर	सदस्य	श्रमिकों के प्रतिनिधि
17.	श्री गौरी शंकर कौशिक, गांव–पोडी, जिला– बिलासपुर	सदस्य	कृषक प्रतिनिधि
18.	श्री एम.पी.पाण्डे, सचिव, जय प्रकाश मेमोरियल सेंटर किरन्दुल	सदस्य	अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि
19.	श्री बीरेन्द्र कुमार सोनी, डोंगरगढ़	सदस्य	जन प्रतिनिधि
20.	आर.पी. सिंह, रिटा. मुख्य अभियंता, छ.ग.रा.वि.म., बिलासपुर	सदस्य	

टीपः– आयोग के सचिव, समिति के पदेन सचिव हैं।

4.2 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें :–

वर्ष 2007 में राज्य सलाहकार समिति की कुल दो बैठकें दिनाँक 28.04.07 तथा 18. 09.07 को आयोजित की गई। इन बैठकों में ग्रीष्मकाल में विद्युत की बचत, मीटर टेस्ट कराने की प्रक्रिया, एनर्जी एकाउटिंग, विद्युत चोरी पर रोक तथा वसूली, वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं विद्युत दरों के पुर्नानिर्धारण एवं विद्युत उपभोक्ताओं को एवरेज बिल जारी करने पर रोक एवं अनाधिकृत कनेक्शन, एवं कार्बन क्रेडिट आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ।

वर्ष 2008 में इस समिति की कुल तीन बैंठकें दिनांक 23.02.08, 04.06.08 तथा 04. 11.08 को संपन्न हुई जिसमें विद्युत चोरी रोकने के संबंध में उपाय, शतप्रतिषत मीटरीकरण एवं खराब मीटरों के बदलने के संबंध में निर्देष एवं उनका परिपालन, एच.टी. कंजूमर सेल गठन आदि अनेक विषयों पर चर्चा हुई एवं तत्संबंधी निर्देष भी जारी किये गये।

–––000–––

खण्ड–5

वर्ष 2007 एवं 2008 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण

5.1 आयोग द्वारा विनियमों का जारी करना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा आयोग को अधिनियम में सौपें गये कृत्यों को पूरा करने के लिए आयोग को विभिन्न धाराओं से सुसंगत विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। इस प्रकार विनियम का बनाना आयोग का एक प्रमुख कर्तव्य है। उपरोक्त विनियम बनने के पूर्व प्रारूप विनियमों तथा अन्य दिशा निर्देशों पर जन सामान्य तथा विशेष रूप से प्रभावित घटक–संस्थाओं, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों, अनुज्ञप्तिधारियों, शासन, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों से उपरोक्तानुसार सुझाव आपत्तियाँ तथा टिप्पणियाँ प्राप्त की जाती है ।

आयोग द्वारा विनियम बनाने की प्रक्रिया अधिसूचना (नोटिफिकेशन) द्वारा की जाती है। अधिसूचना का अभिप्राय शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है। धारा 181 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा बनाए गए समस्त विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

अतः पूर्व प्रकाशन हेतु आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

- प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाईट पर रखे जायेंगे तथा प्रारूप विनियमों की प्रतियाँ आयोग के कार्यालय व पुस्तकालय में कार्यालय के कार्य–अवधि में कार्य दिवसों में उपलब्ध होंगी।
- प्रारूप विनियमों के बारे में आपत्ति/सुझाव/टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु सर्वाधिक प्रसारित दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की जायेगी तथा आयोग के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उक्त सूचना में संक्षेप में विनियम की विषय–वस्तु समाविष्ट होगी।
- प्रारूप विनियम की एक–एक प्रतिलिपि निम्नलिखित में से प्रत्येक को भेजी जायेगी':–

  (क) राज्य शासन के ऊर्जा विभाग में

  (ख) राज्य सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य को ।

  (ग) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को ।
- दो सप्ताह या उससे अधिक समय जैसा आयोग द्वारा समुचित माना जाये, आपत्तियाँ, सुझाव व टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु दिया जायेगा।
- समुचित प्रकरणों में आयोग द्वारा प्राप्त आपत्तियों, सुझावों व टिप्पणियों के आधार पर अथवा अन्यथा प्रारूप विनियम पर जन–सुनवाई की जा सकती है।

- विनियम को अंतिम रूप जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जायेगा। प्रकाशन के उपरांत विनियम को आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा तत्संबंधी सूचना आयोग के आम सूचना–पटल पर प्रदर्शित की जायेगी तथा एक प्रेस–विज्ञप्ति भी जारी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार आयोग की स्थापना वर्ष 2004 में होते ही वर्ष 2004, 2005, 2006 में निरंतर विनियम तैयार कर लागू कर दिये थे। यह प्रक्रिया वर्ष 2007 एवं 2008 में भी अनवरत जारी रही। दिनाँक 31.12.2007 की स्थिति में जारी विनियमों की सूची निम्नानुसार है :–

(I) वर्ष 2007 के पूर्व अधिसूचित विनियमः–

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम–2004
2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम–2004
3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम–2004
4. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम–2004
5. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम–2004
6. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम–2004
7. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि) विनियम–2005
8. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम–2005
9. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम–2005
10. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2005
11. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (प्रथम संशोधन) विनियम–2005
12. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) (प्रथम संशोधन) विनियम–2005
13. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने की प्रक्रिया) विनियम–2005

14. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (भर्ती एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों विनियम–2005

15. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण कार्यान्वयन हेतु मानक) विनियम–2006

16. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण हेतु निबंधन व शर्ते) विनियम–2006

17. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सूचना की तामीली व प्रकाशन) विनियम, 2006।

(II) वर्ष 2007 एवं 2008 में अधिसूचित विनियमः–

इस प्रकार आयोग के गठन के बाद से दिनाँक 31.12.08 तक आयोग द्वारा कुल (अट्ठाईस) विनियम बनाये गये हैं। इनमें से छः संशोधन विनियम है।

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (प्रथम संशोधन) 2007
2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (द्वितीय संशोधन) 2007
3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग–प्रथम संशोधन) विनियम, 2007
4. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि–प्रथम संशोधन) विनियम, 2007
5. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण) विनियम 2007।
6. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता 2007।
7. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता (प्रथम संशोधन), 2008।
8. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत की प्राप्ति) विनियम, 2008।
9. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ निर्धारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2008।
10. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) (प्रथम संषोधन) विनियम, 2008।
11. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक उर्जा–स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा संबंधित विषय–वस्तु) विनियम, 2008।

5.2 न्यायिक कार्य : याचिकाओं का निराकरण

आयोग ने अपनी स्थापना से लेकर वर्ष 2008 के अन्त तक अर्थात 31.12.08 तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत कुल 150 प्रकरणों में से 137 का निराकरण किया है,

जिसका प्रतिशत 91.33 है। इस वर्ष के प्रारंभ में 9 प्रकरण विचाराधीन थे, जबकि इस वर्ष प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या 29 रही। इस तरह कुल लंबित 38 प्रकरणों में से आयोग ने इस वर्ष 26 का निपटारा किया। जिसे यदि प्रतिशत के रूप में दर्शाया जावे तो यह 68.42 प्रतिशत होता है। याचिकाओं की स्थिति निम्नांकित सारणी में दर्शायी गई है:–

याचिकाओं का निराकरण			
31–12–2007 की स्थिति में विचाराधीन	वर्ष 2008 में पंजीकृत	वर्ष 2008 में निराकृत	31–12–2008 की स्थिति में विचाराधीन
9	29	26	12

याचिकाओं के सुनवाई हेतु आयोग ने कुल 40 बैठकें कीं। एक प्रकरण के निराकरण की औसत अवधि इस वर्ष तीन महीने 14 दिन की रही जो गत वर्ष की औसत अवधि से कम है। इस वर्ष किसी प्रकरण के निराकरण में लगी अधिकतम अवधि एक वर्ष एक माह दो दिन एवं न्यूनतम अवधि दो दिन की रही।

5.3 विद्युत के प्रदाय हेतु टैरिफ का निर्धारण

आयोग के द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार विद्युत मण्डल को प्रति वर्ष नवम्बर के अन्त तक विद्युत दरों के निर्धारण हेतु याचिका आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। वर्ष 2007 में टैरिफ के लिये मण्डल द्वारा दिनाँक 31.07.2007 को याचिका प्रस्तुत की गई। आयोग ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत दिनाँक 22.10.2007 को विद्युत दर आदेश जारी किया। यह विद्युत दरें दिनाँक 01.11.2007 से लागू की गईं।

टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:–

(i) याचिका की प्राप्ति

(ii) आपत्तियां एवं टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिये प्रमुख समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन

(iii) मण्डल द्वारा याचिका में प्रस्तावित संशोधन का प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन

(iv) टैरिफ आवेदन पर विचार के लिए राज्य विद्युत सलाहकार समिति की विशेष बैठक

(v) बिलासपुर, अम्बिकापुर, रायपुर एवं जगदलपुर में जन सुनवाई (कुल 6 दिवस)

(vi) टैरिफ आदेश पारित करने के तिथि
(आवेदन से लेकर आदेश पारित होने की अवधि 105 दिवसों की है)

वर्ष 2007–08 विद्युत दर आदेश के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं:–

1) वर्ष 2007–08 के लिये मण्डल द्वारा रू. 3363 करोड़ की वार्षिक राजस्व आवश्यकता बताई गई थी तथा अपेक्षित आय में रू. 259 करोड़ की कमी अनुमानित कर विभिन्न विद्युत दरों औसतन 2.08 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई थी। मण्डल ने वास्तव में विद्युत दरों में वृद्धि से रू. 3363 करोड़ वसूलने का प्रस्ताव रखा था जबकि वास्तविक कमी रू. 105 करोड़ आंकलित की गई थी। प्रस्ताव का गहन परीक्षण करने के उपरांत आयोग द्वारा मण्डल की वार्षिक राजस्व आवश्यकता रू. 2941 करोड़ मानी गई और लगभग 105 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना पाया गया।

   इस प्रकार राजस्व आवश्यकता में घाटा नही होने के कारण विद्युत दरों में वृद्धि के बजाय केवल युक्ति–युक्त करण किया गया।

2) विद्युत प्रदाय की औसत लागत जो पिछले वर्ष प्रति यूनिट रू. 3.20 आंकी गई थी वह इस वर्ष 22 पैसे घट कर रू. 2.98 रह गई।

3) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में कोई वृद्धि नही की गई।

4) अन्य घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में मामूली 3.45 प्रतिशत की वृद्धि की गई तथा टेलिस्कोपिक प्रणाली समाप्त की गई।

5) पाँच हॉर्स पॉवर तक के कृषि पम्पों की विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई, इस दर में ड्रिप तथा स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई, हार्टीकल्चर, फल–फूल सब्जी उत्पादन और वन औषधि एवं जेटरोफा प्लांटेशन के लिये सिंचाई आदि शामिल किये गये, कृषि सम्बन्धी (Agriculture Allied) सेवाओं के नाम से एक नई विद्युत दर प्रारम्भ की गई जिसमें वृक्षारोपण, मत्स्य उद्योग, मुर्गी पालन, डेयरी, टिशुकल्चर, प्रयोगशाला, फूड प्रोसेसिंग इकाईयों इत्यादि शामिल किये गये इनके लिये गैर घरेलू दरें लागू थी जो औसत विद्युत दरों से अधिक थी।

6) राज्य के औद्योगिकरण में इस्पात एवं उससे सम्बन्धित उद्योगों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस्पात उद्योग की दरों में लगभग 20 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई।

7) मण्डल की पारेषण एवं वितरण हानि को 36 प्रतिशत से वर्ष 2007–08 में 2.7 प्रतिशत एवं वर्ष 2008–09 में 3 प्रतिशत कम करने के निर्देश दिये गये।

9) कोयला खदान तथा भारी उद्योग की श्रेणियों को मिलाकर एक दर बनाई गई।

5.4 आयोग द्वारा मंडल को निर्देश:–

विगत टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा मंडल को लागत में कमी, दक्षता में वृद्धि, अधिनियम में संकल्पित सुधार, प्रबंधन सूचना प्रणाली, लेखा संपरीक्षा वित्तीय प्रबंधन, बकाया वसूली तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण जैसे अनेक विषयों पर

निर्देश दिये गये है। जिनके अनुपालन की स्थिति पर आयोग द्वारा अनुशीलन करने पर यह पाया गया कि उनका न केवल अनुपालन नगण्य हुआ है बल्कि उनके अनुपालन के प्रति कोई गंभीरता का प्रदर्शन भी नहीं किया गया है। अतः आयोग द्वारा उन निर्देशों में से 29 निर्देशों का पुनःउल्लेख करना पड़ा तथा साथ ही 10 नवीन निर्देश भी मंडल को दिए गए हैं।

5.5 आयोग द्वारा राज्य शासन को परामर्श

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (2) में निहित क्षेत्राधिकार के अधीन आयोग द्वारा राज्य शासन को निम्नलिखित परामर्श दी गई ।

1. <u>विद्युत कर का युक्तियुक्तकरणः–</u>

विगत टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा राज्य शासन का ध्यान राज्य में विद्युत कर की दरों में युक्तियुक्तकरण की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया गया था परन्तु राज्य शासन द्वारा विद्युत कर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस वर्ष भी टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा अपनी पूर्व में दी गई परामर्श की पुनरावृत्ति करते हुए राज्य शासन को यह परामर्श दिया है कि विद्युत कर ढांचे के युक्तियुक्तकरण पर विचार करें ताकि कतिपय वर्गों के उपभोक्ताओं पर विद्युत कर का भार (उदाहरण के लिये एक स्तर के घरेलू उपभोक्ता जिन पर यह दर 23 प्रतिशत है और कोयला खान जिन पर दर 40 प्रतिशत है) असामान्य रूप से अधिक न पड़े । इस प्रकार के युक्तियुक्तकरण से विद्युत की कीमतों के युक्तियुक्तकरण में भी मदद मिलेगी।

2. <u>मंडल द्वारा राज्य शासन की ओर से विद्युत कर की राशि का संग्रहणः–</u>

राज्य शासन ने विद्युत कर तथा उपकर का उपभोक्ताओं से संग्रहण करने का दायित्व मंडल को सौंपा है। इस कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा मंडल को कोई संग्रहण शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। मंडल उक्त राशि को अपने विद्युत प्रभार के देयकों में जोड़कर वसूली हेतु उपभोक्ताओं को भिजवाता है। उक्त देयकों में जोड़ी गई विद्युत कर तथा उपकर की राशि उपभोक्ताओं से वसूल होने के पूर्व ही अग्रिम रूप से मंडल द्वारा राज्य शासन को प्रेषित करना होता है। मंडल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को 15 से 21 दिन का समय देयकों के भुगतान हेतु दिया जाता है। निर्धारित अवधि में भुगतान न करने की स्थिति में अधिभार आरोपित करके 7 दिन का अतिरिक्त समय भी प्रदान किया जाता है किन्तु इसके उपरांत भी अनेक उपभोक्ता विद्युत देयकों का भुगतान करने में चूक कर जाते है। इन समस्त परिस्थितियों में भी मंडल को विद्युत देयकों की राशि उपभोक्ताओं से प्राप्त हो अथवा न हो विद्युत कर तथा उपकर की राशि मंडल द्वारा राज्य शासन को निर्धारित तिथि तक अनिवार्यतः प्रेषित करनी होती है। आयोग के विचार में यह रीति उचित नहीं है तथा इसके स्थान पर मंडल द्वारा वास्तव में राशि के संग्रहण के पश्चात् ही विद्युत कर तथा उपकर की राशि को राज्य शासन को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए ।

3. <u>मंडल के विद्युत उत्पादन संयंत्रों की अनुषांगिक (Auxilliary) खपत पर विद्युत कर का अधिरोपणः–</u>

कुल उत्पादित विद्युत का लगभग 9.5% ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों में विद्युत उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में लाये जाने वाले अनुषांगिक उपकरणों में ही खप जाता है। मंडल को इस अनुषांगिक खपत पर 22.48 पैसे प्रति इकाई की दर से विद्युत कर तथा 5 पैसे प्रति इकाई की दर से उपकर का भुगतान करना पड़ता है। चूंकि अनुषांगिक खपत विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, आयोग की दृष्टि में इस पर विद्युत कर का अधिरोपण उचित प्रतीत नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि उक्त राशि को विद्युत–उत्पादन की लागत में सम्मिलित किया जाकर उपभोक्ताओं से ऊर्जा देयकों के माध्यम से वसूला जाता है तथा उन देयकों में दोबारा राज्य शासन द्वारा लागू दर पर विद्युत कर तथा उपकर लगाया जाता है अर्थात् विद्युत कर दो बार उपभोक्ताओं पर प्रभारित होता है जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः मंडल के विद्युत उत्पादन संयंत्रों के अनुषांगिक खपत पर विद्युत कर से विमुक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

4. <u>राज्य शासन द्वारा मंडल को देय बकाया सहायक अनुदान राशिः–</u>

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के मध्य आस्तियों तथा दायित्वों के विभाजन हेतु भारत शासन, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 04–11–2004 में निहित अंतिम विभाजन आदेश के अनुसार तत्कालीन अविभाजित मध्यप्रदेश विद्युत मंडल की लेखा पुस्तकों में कुल रू. 2447.60 करोड़ सहायक अंशदान राशि राज्य शासन द्वारा विद्युत मंडल को देय बकाया थी जिसे उक्त आदेश के प्रावधानों के आधार पर 77.63:27.97 के अनुपात में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में विभाजित करने पर रू. 562.21 करोड़ छत्तीसगढ़. शासन द्वारा छत्तीसगढ़. राज्य विद्युत मंडल को देय बकाया निर्धारित की गई है।

आयोग ने राज्य शासन से निवेदन किया है कि शीघ्रातिशीघ्र राज्य शासन इस बकाया सहायक अनुदान राशि का निपटारा कर दे ताकि आस्तियों तथा दायित्वों के अंतरण की योजना तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की पुर्नसंरचना के क्रियान्वयन में सहूलियत हो सके ।

5.6 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल (अंबुडसमैन) की स्थापनाः–

आयोग के निर्देशानुसार राज्य विद्युत मंडल द्वारा राज्य में रायपुर, विलासपुर तथा जगदलपुर में शिकायत निवारण फोरम (फोरम) स्थापना की गई है। इसके अलावा आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम धारा 42(6) के प्रावधान के अनुसार विद्युत लोकपाल की नियुक्ति भी की है। फोरम के आदेशों के विरूद्ध लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य के प्रथम विद्युत लोकपाल के रूप मे श्री जुगल किशोर सिंह राजपूत की नियुक्ति की गई है। श्री राजपूत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (सतर्कता) के पद से सेवानिवृत्त हुए है। उक्त पद से पूर्व श्री राजपूत

न्यायिक सेवा के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएँ प्रदान कर चुके हैं जिनमें छत्तीसगढ़ शासन के विधि सचिव तथा जिला न्यायाधीश के पद उल्लेखनीय है।

5.7 फोरम ऑफ रेग्यूलेटर्स की छठवीं बैठकः—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा फोरम राज्य ऑफ रेग्यूलेटर्स (FOR) की छठवीं बैठक दिनांक 28 फरवरी 2007 से 01 मार्च 2007 तक रायपुर में आयोजित की गई। माननीय, मुख्यमंत्रीजी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस आयोजन का शुभारंभ किया गया। बैठक में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग एवं राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम बार आयोजित (FOR) की इस बैठक में समन्वित सूचना प्रबंधन योजना का विकास करने एवं सभी आयोगों के लिए एक नैतिक संहिता विकसित करने हेतु चर्चा की गई। साथ ही छत्तीसगढ़ में बिजली की स्थिति पर प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एवं फोरम द्वारा देश में नियामक आयोगों की भूमिका एवं गतिविधियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया।

आयोग द्वारा वर्ष 2008 में किये गये प्रमुख कार्यः—

1. ऐसे पावर प्लांट विद्युत का उत्पादन अपने स्वयं के उपयोग हेतु करते हैं तथा अपने लोड हेतु विद्युत प्रदाय की निरंतरता व विष्वसनीयता हेतु मंडल के ग्रिड से जुड़े होते हैं, उन्हें मंडल के लिए पेरलल ऑपरेषन चार्ज का भुगतान करना होता है। आयोग ने विषेष तकनीकी अध्ययन संपन्न कराकर दिनाँक 31.12.2008 को पेरलल ऑपरेषन चार्ज के निर्धारण के संबंध में विस्तृत आदेष पारित किया जो देष में इस प्रकार का प्रथम प्रयास है।
2. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 (f) के तारतम्य में आयोग ने इस वर्ष से बहुवर्षीय टैरिफ लागू करने के उद्देष्य से जनसामान्य से सुझाव आमंत्रित कर तथा जनसुनवाई के पश्चात बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों पर आधारित टैरिफ अवधारण की शर्तों एवं निबंधनों संबंधी विनियम बनाया।
3. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (e) के अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु, अपारंपरिक स्त्रोतों से विद्युत के क्रय एवं उनसे संबंधित टैरिफ के निर्धारण हेतु विनियम बनाये।
4. सौर—ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु भारत सरकार के प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में सौर—विद्युत संयंत्रों के संवर्धन के दृष्टिकोण से सौर—विद्युत की टैरिफ का निर्धारण कर उसकी उद्‌घोषणा की गई।

विद्युत उपभोक्ताओं में जागरूकता के प्रयासः—

आयोग ने सर्मथन नामक एक अषासकीय संगठन के सहयोग से जांजगीर चांपा एवं महासमुंद जिलों के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण उपभोक्ताओं के मध्य बिजली की बचत एवं रख—रखाव आदि के प्रषिक्षण हेतु प्रषिक्षण षिविर आयोजित किये गये थे, जिसे जनता का अच्छा प्रतिसाद मिला।

———00000———

खण्ड–6

आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण–वर्ष 2007

6.1 आयोग की निधि

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 103 में राज्य शासन द्वारा एक निधि की स्थापना करने का प्रावधान है जिसे राज्य विद्युत नियामक आयोग निधि के नाम से जाना जाता है तथा जिसमें राज्य शासन द्वारा आयोग हेतु आवंटित अनुदान राशि एवं ऋण, आयोग द्वारा प्राप्त समस्त वैधानिक शुल्क आदि को शामिल किया जाता है ।

इस निधि का उपयोग आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन, तथा भत्तों का भुगतान करने हेतु, आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 86 के अनुसरण में किये जाने वाले कृत्यों के निर्वहन हेतु, तथा अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर व्ययों के भुगतान हेतु उपरोक्त धारा की कंडिका (2) (a) द्वारा प्रदत्त अनुमति से किया जाता है। इन व्ययों का भुगतान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श के उपरांत राज्य शासन द्वारा संसूचित रीति से किये जाने का प्रावधान उपरोक्त धारा की उपधारा (3) में है।

तद्नुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (निधि) नियम 2004 का प्रारूप तैयार करके आयोग द्वारा दिनाँक 06–08–2004 को राज्य शासन को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श के उपरांत जारी करने हेतु भिजावाये गए थे। ये नियम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित होकर दिनांक 18 मई 2007 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (निधि का गठन एवं निधि के उपयोग की रीति) नियम, 2007 के रूप में प्रकाशित हुआ है।

इन नियमों में तीन मुख्य तीन बातों का उल्लेख किया गया है जो निम्नानुसार है:–

(i) आयोग की निधी का मुख्य लेखा किसी राष्ट्रीयकृत व्यवसायिक बैंक में रखा जायेगा तथा उसका उपलेखा अन्य किसी बैंक अथवा शाखा में रखा जा सकेगा। इसके तारतम्य में आयोग का मुख्य लेखा पंजाब नेषनल बैंक, रायपुर में खोला गया तथा उपलेखा के रूप में एक्सिस बैंक लि., पंडरी रायपुर (पूर्व में यू.टी.आई. बैंक) रखा गया है।

(ii) आयोग की निधि से आहरण केवल चेक द्वारा किया जाना है, जो कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं एक अन्य अधिकारी जो आयोग द्वारा नामित हो। इसके अनुसरण में आयोग के वित्तीय विषलेषक को आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित किया गया है तथा आयोग के कनिष्ठ लेखा अधिकारी को चेक पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है।

(iii) आयोग के विभिन्न व्यय एवं स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन की रूप रेखा तैयार करने का अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव को प्रदाय किया गया है।

6.2 आयोग के लेखाओं एवं उससे संबंधित अभिलेखों के संधारण हेतु निर्धारित नियम

अधिनियम की धारा 104(1) में राज्य शासन द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श के उपरांत, संसूचित प्रारूप के अनुरूप समुचित लेखे एवं संबंधित अभिलेख संधारित करते हुए अपना वार्षिक विवरण आयोग द्वारा तैयार किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा) नियम 2004 का प्रारूप तैयार करके आयोग द्वारा दिनाँक 28.07. 2004 को राज्य शासन को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श के उपरांत जारी करने हेतु प्रेषित किये गए थे। ये नियम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित होकर इनका प्रकाषन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा, संपरिक्षा एवं बजट) नियम 2007 नाम से राजपत्र में 6 जुलाई 2007 को हो चुका है। अतः वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 का वार्षिक लेखा विवरण उपरोक्त नियम में निहित प्रवधानों के अन्तर्गत तैयार कर महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को भेजा गया है।

6.3 आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा (ऑडिट)

धारा 104 (2) में आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये जाने का प्रावधान है। तथा उपधारा (4) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अभिप्रमाणित लेखाओं को लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन सहित प्रतिवर्ष आयोग द्वारा राज्य शासन को प्रेषित किये जाकर राज्य शासन द्वारा यथाशीघ्र राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है ।

राज्य शासन द्वारा बनाये गये छ.ग.राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा, संपरीक्षा एवं बजट) नियम 2007 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अंदर आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा विवरण संपरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षा अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को भेजे जाने का प्रावधान है।

आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को आयोग के अध्यक्ष, वित्तीय मामलों के एक सदस्य एवं सचिव द्वारा प्रमाणित किये जावेंगे।

वित्तीय वर्ष 2006–07 के लेखाओं की संपरीक्षा महालेखाकार छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनाँक 31.12.2007 से 03.01.2008 तक आयोग के कार्यालय में आकर की जा चुकी है। लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित अभ्युक्तियों के निराकरण संबंधी टीप सहित वित्तीय वर्ष 2006–07 के संपरीक्षित वार्षिक लेखे, उन पर महालेखाकार, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन सहित इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट है।

वित्तीय वर्ष 2007–08 का वार्षिक लेखा आयोग के अनुमोदन उपरान्त महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर को भेजा जा चुका है एवं उसकी संपरीक्षा महालेखाकार के द्वारा किया जा चुका है। प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

6.4 आयोग का वार्षिक बजट

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा, संपरीक्षा एवं बजट) नियम 2007 के अनुसार आयोग द्वारा आने वाले वित्तीय वर्ष का बजट प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के अंत तक तैयार किये जाने एवं राज्य शासन को अग्रेषित किये जाने का प्रावधान है।

आयोग के वार्षिक बजट निर्धारित प्रारूप एक एवं दो में वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 राज्य शासन को प्रेषित किया गया है।

6.5 वित्तीय वर्ष 2006–07 का संक्षिप्त लेखा विवरण

वित्तीय वर्ष 2005–06 के संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण में दिनाँक 31.03.06 को विगत अंतिम रोकड़ शेष तथा बैंकस्थ रोकड़ शेष रू. 1,32,30,841.30 था जिसे प्रारंभिक शेष के रूप में लेकर वित्तीय वर्ष 2006–07 की रोकड़ बही दिनाँक 01.04. 2006 को प्रारंभ की गई। उसके उपरांत सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2006–07 में आयोग की कुल प्राप्तियां रू. 3,12,81,757.70 हुई जिसमें से रू. 160,00,000.00 छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा आयोग को सहायक अनुदान के रूप में तथा अन्य रू. 1,52,81,757.70 आयोग की स्वयं की प्राप्तियों की मद में प्राप्त हुए। कुल व्यय रू. 1,21,14,693.40 हुआ जिसमें से रू. 16,275.00 पूंजीगत व्यय तथा रू. 1,20,98,418.00 स्थापना, प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय थे। दिनाँक 31.03.2007 की स्थिति में अंतिम रोकड़ तथा बैंकस्थ रोकड़ रू. 3,23,97,905.90 शेष था। वर्ष 2006–07 के संपरीक्षित वार्षिक लेखे इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट में हैं।

6.6 वित्तीय वर्ष 2007–08 का संक्षिप्त लेखा विवरण

वित्तीय वर्ष 2007–08 अर्थात् दिनाँक 01.04.2007 से 31.03.2008 (12 माह) के प्रारंभ में आयोग की रोकड़ बही को उपरोक्त प्रारंभिक शेषों के साथ प्रारंभ किया गया। उसके उपरांत इस अवधि में आयोग की कुल प्राप्तियां रू. 3,54,30,734.00 हुई जिसमें से रू. 1,60,00,000.00 छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा आयोग को सहायक अनुदान के रूप में तथा अन्य रू. 1,94,30,734.00 आयोग की स्वयं की प्राप्तियों की मद में प्राप्त हुए ।

कुल व्यय रू. 1,68,66,917.00 हुआ जिसमें रू. 3,61,717.00 पूंजीगत व्यय तथा अन्य रू. 1,65,05,200.00 स्थापना, प्रषासनिक एवं कार्यालयीन व्यय थे। दिनांक 31/03/2008 की स्थिति में अंतिम रोकड़ तथा बैंकस्थ रोकड़ (सवाधि जमा सहित) रू 5,09,61,722 शेष था। इस वर्ष के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जा चुकी है। परंतु ऑडिट प्रमाण पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अतः प्रतिवेदन में इस वर्ष की संपरीक्षित लेखों को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया है।

——000——

AUDIT CERTIFICATE

We have audited the attached Balance Sheet of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission as at 31 March, 2008 and Income & Expenditure/Receipt and Payment Account for the year ended on that date annexed thereto under Section 104(2) of the Electricity Act, 2003. These financial statements are the responsibility of the Commission's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have conducted our audit in accordance with applicable rules and the auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

(ii) The Balance sheet and Receipt and Payment/Income and Expenditure Account dealt with in this report have been drawn up in the format prescribed in draft Electricity Regulatory Commission (Annual Accounts, Audit and Budget) Rules and the approval of the format has not been obtained from the Government of Chhattisgarh under section 104 (1) of the Electricity Act, 2003.

(iii) Subject to our detailed observations in the Separate Audit Report annexed herewith, we report that the Balance Sheet and Receipt and Payment/Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(iv) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Balance Sheet and Receipt and Payment/Income and expenditure Account read together with the Accounting Policies and Notes thereon and subject/due to the significant matters stated above and other matters mentioned in the separate audit report annexed herewith, give a true and fair view.

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet of the State of affairs of the Commission as at 31 March, 2006 and

(b) In so far as it relates to the Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

Place: Raipur
Date:

Accountant General

Separate Audit Report of Accountant General Chhattisgarh on the Annual Accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year 2007-08

A. Introduction:-

The Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission was constituted by the Government of Chhattisgarh vide notification dated 23.8.2002 issued under the provisions of the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 and read with notification No: 432/R352/03 dated: 11.05.2004. It has become operational w.e.f. 01.07.2004. The Accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year ended 31 March, 2008 as approved by the Commission were audited under the provisions of Section 104(2) of the Electricity Act, 2003. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with best accounting practices, Accounting Standards disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc, if any, are issued separately through inspection reports/CAG Audit Reports.

B. Form of Accounts:-

The Commission has compiled the accounts in the format prescribed in draft Electricity Regulatory Commission (Annual Accounts, Audit and Budget) Rules 2006. The draft Annual Accounts Rules are awaiting approval of the Government.

C. Organisation set up:-

The Commission is a body corporate and comprises of two members including the chairman, who are appointed by the State Government.

D. Functions of the Commission:-

The main function of the Commission is to determine tariff, regulate electricity purchase and procurement, including the price at which electricity shall be procured from the generating companies or licensees or from other sources, through agreements etc.

E. Working Results: -

The working results of the Commission for the years 2006-07 and 2007-08 are given in Annexure-1. The net surplus of Rs. 92.66 lakh for the current year has been arrived at after taking into account the Grant-in-Aid from the Government of Chhattisgarh for the year 2007-08.

F. Comments on Accounts

I Income and Expenditure account

Establishment charges

Leave Salary and pension Contribution Rs. NIL

The above does not include a sum of Rs.1.13 lakh contributed by the Commission during the year to the Contributory Pension Scheme of the employees and classified under "Administrative and Other Expenditure". This has resulted in overstatement of 'Administrative and other Expenditure", and understatement of "Establishment Charges" by Rs.I.13Iakh.

II Balance Sheet

Assets

(i) Fixed Assets Rs.30.89 lakh

The above is understated by Rs.73,650 due to non accounting of furniture purchased during the year. This has also resulted in understatement of Current liabilities and provisions by Rs.73,650, understatement of depreciation by Rs.2,210 and overstatement of "Surplus" by the same amount.

(ii) Cash-at-Bank Rs.I.32 crore

The above is understated by Rs.12,843 due to non-accounting of seven stale cheques. This has also resulted in understatement of current liabilities and provision by the same amount.

III General

(i) A reference is invited to Note 5 of the "Notes forming part of the Accounts" wherein it is stated that "property and income of the Commission is exempt from union taxation by virtue of Article 289 of the Constitution of India." But as the Commission is having a separate Fund quite distinct from the consolidated Fund of the State and all its receipts are credited in to that Fund maintained in a Scheduled Bank, the Commission does not come under the category of 'State' to claim exemption under Article 289 of the Constitution of India. As such, the note to factually incorrect.

(ii) Provision for gratuity has not been made in the accounts. Mere disclosure of the fact of non-provision in the notes (Note No.(III)6) is not sufficient.

Accountant General

Annexure-1

(Referred to in Sl. No. E of Audit Report)

Working results of CSERC for the two years ended 31 March, 2006

(Rs . in lakh)

		2005-06	2006-07
1.	**Revenue Receipts**		
	a. Commission/Fee	110.44	133.53
	b.Grant-in Aid	60.00	60.00
	c.Interest on Cash at bank	6.35	16.19
	d. Other	2.59	0.39
	Total	**179.38**	**210.11**
2.	**Revenue Expenditure**		
	i. Establishment expenses	60.64	70.24
	ii.Admn. & Other office expenses	35.71	41.60
	iii. Depreciation	1.94	2.06
	Total	**98.29**	**113.90**
3.	**Net surplus (1-2)**	**81.09**	**96.21**
4.	**Prior period expenses**	**Nil**	**1.31**
5.	**Net Surplus (3-4)**	**81.09**	**94.90**

Senior Audit Officer/CAW

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर
प्ररूप–क
(देखिये नियम 3)

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए
(1-4-2006 से 31-3-2007)

गत वर्ष (रू.)	प्राप्तियाँ	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)	गत वर्ष (रू.)	भुगतान	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
	1. प्रारंभिक शेष				1. स्थापना व्यय (सारणी 1)		
732.00	(i) हस्तस्थ रोकड़	7592.00		5206454.00	(i) वेतन एवं भत्ते	5672566.00	
6302362.50	(ii) बैंक में रोकड	13223249.30	13230841.30	119536.00	(ii) मजदूरी	25527.00	
6000000.00	2. छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान		16000000.00		(iii) यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान		
	3. आयोग की प्राप्तिया			105564.00	(सुरक्षा एवं रख रखाव)	105564.00	
	(i) निवेश से प्राप्तियाँ			निरंक	(iv) अवकाश वेतन, अंशदान एवं निवृत्ति वेतन	निरंक	
निरंक	(क) निवेश का नगदीकरण	निरंक			(v) यात्रा व्यय (सारणी 2)		
निरंक	(ख) निवेश पर ब्याज	निरंक		478787.00	(a) देशीय यात्रा	577436.00	
निरंक	(ii) कर्मचारियों से ऋण एवं अग्रिम की वसूली	निरंक		निरंक	(b) विदेश यात्रा	8769.00	
	(iii) अन्य प्राप्तियाँ			24992.00	(c) अवकाश यात्रा रियायत	58749.00	
निरंक	(क) वर्तन	निरंक		11500.00	(vi) मानदेय (राज्य सलाहकार समिति)	11500.00	
10044250.00	(ख) शुल्क, जुर्माना, शास्ति एवं प्रभार	13353459.00		निरंक	(vii) ओवर टाईम भत्ता	निरंक	
634733.00	(ग) बैंक में रोकड़ पर ब्याज	1618878.00		17592.00	(viii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	329933.00	
निरंक	(घ) कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	निरंक		8159.00	(ix) अधिलाभांश	21250.00	
	(ड़) विविध प्राप्तियाँ			निरंक	(x) अन्य स्थापना व्यय	निरंक	6811294.00
निरंक	(i) बयाना राषि				2. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय		
	कुल प्राप्ति 170000.00			92148.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	380380.00	
	(–) वापसी 370000.00	-200000.00		310437.00	(ii) दूरभाष एवं फैक्स व्यय	282897.00	
21358.00	(ii) प्रतिभूति निक्षेप (प्राप्त)	255.00		839165.00	(iii) किराया (80000+770520)	858520.00	
	(iii) प्रेषण प्राप्तियाँ			2200450.00	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	2761124.40	4282921.40
-1080.00	(अ) समूह बीमा योजना (अप्रेषित)	निरंक		580150.00	3. पूंजीगत व्यय		16275.00
315.00	(b) सामान्य भविष्य निधी			3298.00	4. प्रतिभूति निक्षेप (पक्षकारों को भुगतान)		53835.00
	कुल प्राप्तियाँ 291556.00			76357.00	5. कर्मचारियों को अग्रिम (यात्रा हेतु अग्रिम)		50368.00
	(–) वापसी 291871.00	-315.00		12844.00	6. अन्य अग्रिम		
60726.00	(स) नवीन अंषदायी पेंषन योजना	92671.00			गृह निर्माण मंडल को अग्रिम भुगतान		900000.00
13350.00	(iv) निविदा प्रपत्र की बिकी	6000.00			(कार्यालय भवन निर्माण हेतु)		
10250.00	(v) स्टाफ कार वसूली	12000.00			7. अंतिम शेष		
6960.00	(vi) गृह किराया वसूली	6960.00		7592.00	(i) हस्तस्थ रोकड	3155.00	
204000.00	(vii) निविदा हेतु कार्यवाही शुल्क	निरंक			(ii) खुदरा रोकड़	2000.00	
14490.00	(viii) प्रकाषन का विक्रय	14000.00		13223249.30	(iii) बैंक में रोकड	32392750.90	32397905.90
7777.80	(ix) अन्य विविध प्राप्तियाँ	200488.00					
	(x) विघुत लोकपाल के खर्चों को अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त	163462.00					
	(xi) पुराने सामाचार पत्रों के विक्रय से प्राप्त	100.00					
-1950.00	(xii) प्रशुल्क याचिका पुस्तिका का विक्रय						
	प्राप्तियां 3550.00						
	(–) भुगतान निरंक						
	(xiii) पूर्वावधी मद	10250.00	15281758.00				
23318274.30	योग		44512599.30	23318274.30	योग		44512599.30

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव   सदस्य   अध्यक्ष

स्थान: रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी–1

(देखिये नियम 3)
स्थापना व्यय 31 मार्च 2007
(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(i)	वेतन एवं भत्ते	908916.00	2761995.00	2001655.00	5672566.00
(ii)	मजदूरी	-	-	25527.00	25527.00
(iii)	व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(iv)	अवकाश वेतन एवं निवृत्ति वेतन अंशदान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग	908916.00	2761995.00	2027182.00	5698093.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव

सारणी–2

(देखिये नियम 3)
यात्रा व्यय 31 मार्च 2007
(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(i)	देशीय यात्रा	296600.00	276460.00	4376.00	577436.00
(ii)	विदेश यात्रा	8769.00 *	निरंक	निरंक	8769.00
(iii)	अवकाश यात्रा रियायत	58749.00	निरंक	निरंक	58749.00
	योग	364118.00	276460.00	4376.00	644954.00

* Note :- Figure shows the Raipur-Kolkata to & fro travel expenses amount of Chairman's trip to Paro (Bhutan) borne by the Commission.

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय

दिनाँक 31.3.2007 को समाप्त वर्ष के लिए
(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्र.	विवरण	चालू वर्ष के व्यय (देखिये आय एवं व्यय खाता) रु.	अदत्त		चालू वर्ष में भुगतान (देखिये प्राप्ति एवं भुगतान खाता) रु.
			गत वर्ष के अदत्त व्यय चालू वर्ष में हस्तांतरित 01.04.2006	चालू वर्ष के अदत्त व्यय आगामी वर्ष में हस्तांतरित 31.03. 2007	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
01.	विज्ञापन एवं प्रचार	214292.00	निरंक	9354.00	204938.00
02.	अंकेक्षण शुल्क	60940.00	निरंक	20000.00	40940.00
03.	पुस्तक एवं नियत कालिक पत्रिका	9392.00	निरंक	निरंक	9392.00
04.	किताब एवं प्रकाशन	9285.00	निरंक	निरंक	9285.00
05.	संगणक लेखन सामग्री एवं उपभुक्त	80521.00	निरंक	निरंक	80521.00
06.	सलाहकार शुल्क	841800.00	निरंक	निरंक	841800.00
07.	पोशाक / गणवेश व्यय	3394.00	निरंक	निरंक	3394.00
08.	विद्युत एवं पानी खर्च	209275.00	निरंक	11318.00	197957.00
09.	परीक्षा एवं प्रशिक्षण व्यय	34500.00	निरंक	निरंक	34500.00
10.	अधिवक्ता शुल्क	1800.00	निरंक	निरंक	1800.00
11.	साज सज्जा एवं कार्यालय उपकरण	42629.00	निरंक	निरंक	42629.00
12.	भाड़ा (कार)	390624.00	28692.00	26585.00	392731.00
13.	भाड़ा (आटो रिक्शा)	80677.00	6441.00	6735.00	80383.00
14.	अतिथि सत्कार व्यय	38921.00	निरंक	2378.00	36543.00
15.	अंषदान पेंषन योजना (CPS) पर ब्याज	21047.00	निरंक	21047.00	निरंक
16.	सदस्यता शुल्क व्यय (FOIR)	100000.00	निरंक	निरंक	100000.00
17.	सदस्यता शुल्क व्यय (FOR)	50000.00	निरंक	निरंक	50000.00
18.	विविध कार्यालय व्यय	75706.40	निरंक	2560.00	73146.40
19.	समाचार पत्र एवं पत्रिका व्यय	21282.00	1895.00	1246.00	21931.00
20.	पेट्रोल तेल चिकनाई	152998.00	निरंक	निरंक	152998.00
21.	डाक एवं तार व्यय	18996.00	निरंक	निरंक	18996.00
22.	छपाई, लेखन सामग्री एवं फार्म	233083.00	निरंक	5500.00	227583.00
23.	मरम्मत एवं रखरखाव यंत्र, उपकरण एवं कम्प्यूटर	82712.00	निरंक	2805.00	79907.00
24.	मरम्मत एवं रखरखाव मोटर गाड़ी (अध्यक्ष)	23128.00	निरंक	निरंक	23128.00
25.	मरम्मत एवं रखरखाव मोटर गाड़ी (सदस्य)	27850.00	निरंक	निरंक	27850.00
26.	शुल्क एवं भत्ते (राज्य सलाहकार समिति बैठक)	8772.00	निरंक	निरंक	8772.00
	योग	2833624.40	37028.00	109528.00	2761124.40

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियाम क आयोग, रायपुर

प्ररूप–ख

(देखिये नियम 3)

आय व्यय लेखा 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए

(1-4-2006 से 31-3-2007)

गत वर्ष (रू.)	व्यय	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)	गत वर्ष (रू.)	आय	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
	क. स्थापना व्यय (सारणी 1अ)			6000000.00	1.छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (प्राप्त)	16000000.00	
5282913.00	1. वेतन एवं भत्ते	5694549.00			जोड़ें: प्राप्य अनुदान	निरंक	
108476.00	2. मजदूरी	26073.00			योगः	16000000.00	
	3. (क) अवकाश वेतन, अंशदान एवं निवृत्ति वेतन	112570.00			घटायें: पूंजीकृत राशि	10000000.00	
	(ख) उपादान (प्रावधान सहित)	निरंक	5833192.00		शुद्ध योगः	6000000.00	6000000.00
	3 अ व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान			निरंक	2. निवेश पर ब्याज		निरंक
105564.00	(सुरक्षा एवं भवन रक्षण)		105564.00	634733.00	3. बैंक में रोकड़ पर ब्याज		1618878.00
	4. यात्रा व्यय (सारणी 1ब)			11044250.00	4. वर्तन एवं शुल्क एवं प्रभार		13353459.00
निरंक	i. विदेश यात्रा	8769.00			5. विविध प्राप्तिया		
504605.00	ii. देशीय यात्रा	654243.00		निरंक	(क) पुराने समाचार पत्र का विक्रय	100.00	
24992.00	iii. अवकाश यात्रा रियायत	58749.00	721761.00	13350.00	(ख) निविदा प्रपत्र की बिक्री	6000.00	
11500.00	5. मानदेय (राज्य सलाहकार समिति)		11500.00	10250.00	(ग) स्टॉफ कार वसूली	12000.00	
निरंक	6. ओवर टाईम भत्ता		निरंक	204000.00	(घ) प्रक्रिया शुल्क	निरंक	
17592.00	7. चिकित्सा प्रतिपूर्ति		329933.00	14490.00	(ड़) प्रकाषन का विक्रय	14000.00	
8159.00	8. अधिलाभांश		21250.00	9280.00	(च) गृह किराया वसूली	6960.00	
निरंक	9. अन्य स्थापना व्यय		निरंक	7778.70	(छ) अन्य विविध प्राप्तियाँ	488.00	39548.00
	ख. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय			निरंक			
92148.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	180380.00					
298731.00	(ii) दूरभाष एवं फैक्स व्यय	294198.00					
851197.00	(iii) किराया	850520.00					
2329028.00	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	2833624.40					
निरंक	(v) एन्टिवायरस साफ्टवेयर के लागत में कमी	914.00	4159636.40				
194290.00	ग. अक्षयण		206728.00				
निरंक	घ. पूर्वावधी मद		131567.00				
8108936.70	ड़. आय का व्यय पर आधिक्य		9490753.60				
17938131.70	योग		21011885.00	17938131.70	योग		21011885.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव   सदस्य   अध्यक्ष

स्थान: रायपुर

दिनांक : 28.07.06

सारणी–1अ

(देखिये नियम 5)

स्थापना व्यय 31 मार्च 31 मार्च 2007

(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(i)	वेतन एवं भत्ते	909126.00	2780655.00	2004768.00	5694549.00
(ii)	मजदूरी	-	-	26073.00	26073.00
(iii)	व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(iv)	अवकाश वेतन एवं निवृत्ति वेतन अंशदान	निरंक	85205.00	27365.00	112570.00
	योग	909126.00	2865860.00	2058206.00	5833192.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव

सारणी–1ब

(देखिये नियम 5)

यात्रा व्यय 31 मार्च 2007

(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(i)	देशीय यात्रा	321600.00	328267.00	4376.00	654243.00
(ii)	विदेश यात्रा	8769.00 *	निरंक	निरंक	8769.00
(iii)	अवकाश यात्रा रियायत	58749.00	निरंक	निरंक	58749.00
	योग	389118.00	328267.00	4376.00	721761.00

* Note :- Figure shows the Raipur-Kolkata to & fro travel expenses amount of Chairman's trip to Paro (Bhutan) borne by the Commission.

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्ररूप–ग

(देखिये नियम 3)

तुलन पत्र 31 मार्च 2007 को

(1–4–2006 से 31–3–2007)

गत वर्ष (रू)	दायित्व	राशि (रू)	कुल राशि (रू)	गत वर्ष (रू)	आस्तियाँ	राशि (रू)	कुल राशि (रू)
	<u>पूंजी निधी</u> (सारणी–1)			3088543.00	स्थायी आस्तिया (सारणी–क)		
15547645.30	प्रारंभिक शेष	15547645.30			सकल योग	3515207.00	
	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि				घटाईये: अवक्षयण	526354.00	
	आय का व्यय पर आधिक्य	9490753.60			शुद्ध योग		2988853.00
	छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (अधोसंरचना)	10000000.00	35038398.90	निरंक	निवेश (सारणी–ख)		निरंक
निरंक	ऋणः	निरंक		89701.00	आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम (सारणी–ग)		950368.00
	<u>चालू दायित्व एवं प्रावधानः</u>			4320.00	निक्षेप (सारणी–घ)		4320.00
315.00	प्रेषण (सारणी–2)	निरंक			भविष्य निधि (सारणी–ड़)		निरंक
217121.00	भविष्य निधि (सारणी–3)		384491.00	निरंक	विविध देनदार (सारणी–च)		200000.00
674509.00	विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व (सारणी–4)		1118557.00	26185.00	अनुदान प्राप्य (सारणी–छ)		निरंक
निरंक	उपादान हेतु प्रावधान (समस्त कर्मचारियों के लिए) (सारणी–5)	निरंक		निरंक	<u>अंतिम शेषः</u>		
				7592.00	हस्तस्थ रोकड (सारणी–ज)	5155.00	
				13223249.30	बैंक में रोकड (सारणी–झ)	32392750.90	32397905.90
					लेखाओं पर टिप्पणीयाँ (सारणी–ञ)		
16439590.30	योग		36541446.90	16439590.30	योग		36541446.90

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव   सदस्य   अध्यक्ष

स्थानः रायपुर

दिनांक :

सारणी–1

(देखिये फार्म IV)
पूंजी निधी 31 मार्च 2007
(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	योग	अपलिखित राशि	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
(i)	भूमि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ii)	भवन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(iii)	उपस्कर एवं जुड़नार	954016.00	13275.00	967291.00	62477.00	904814.00
(iv)	यंत्र एवं उपकरण	1148829.00	60149.00	1208978.00	77044.00	1131934.00
(v)	एन्टिवायरस साफ्टवेयर 3 वर्ष हेतु	निरंक	34528.00	34528.00	914.00	33614.00
(vi)	मोटर गाड़ी	985698.00	निरंक	985698.00	67207.00	918491.00
(vii)	पुस्तक एवं प्रकाशन	निरंक	9285.00	9285.00	9285.00	निरंक
(viii)	उपहार/दान सम्पत्तियां	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ix)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	निवल चालू आस्तियाँ	12459102.30	19590443.60	32049545.90	निरंक	32049545.90
	योग	15547645.30	19707680.60	35255325.90	216927.00	35038398.90

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव

सारणी–2

(देखिये फार्म IV)
प्रेषण 31 मार्च 2007
(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	राशि प्रेषित	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
(i)	सामान्य भविष्य निधि कोष एवं अन्य कार्यालय कोष (समुह बीमा योजना+ सामान्य भविष्य निधि)	315.00	317386.00	317701.00	निरंक
(ii)	अनुज्ञप्ति शुल्क	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(iii)	आयकर	निरंक	807616.00	807616.00	निरंक
(iv)	विक्रय कर/सत्कार कर	निरंक	20000.00	20000.00	निरंक
(v)	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	निरंक	165879.00	165879.00	निरंक
(vi)	गृह किराया वसूली	निरंक	16912.00	16912.00	निरंक
(vii)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	निरंक	150.00	150.00	निरंक
	योग	315.00	1327943.00	1328258.00	निरंक

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी–3

(देखिये फार्म IV)

भविष्य निधि 31 मार्च 2007

(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
क.	राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि		
01.	प्रारंभिक शेष	निरंक	
02.	अभिदान	निरंक	
03.	अग्रिम की वसूली	निरंक	
04.	ब्याज	निरंक	
	योगः	निरंक	
	घटायें: अग्रिम/अंतिम देय/निवेश	निरंक	
	शेषः		निरंक
ख.	निवृत्ति वेतन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ कोष		
01.	प्रारंभिक शेष	217121.00	
02.	नया अंषदान निवृत्ति वेतन कोष	150283.00	
03.	सेवानिवृत्त लाभ कोष	निरंक	
04.	ब्याज	17087.00	
	घटायें: कुल भुगतान	निरंक	
	शेषः		384491.00
	योग	384491.00	384491.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार | सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी–4

(देखिये फार्म IV)

विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व 31 मार्च 2007

(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	प्रेषित राशि	पुनः भुगतान	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
01.	प्रतिभूति निक्षेप	61161.00	255.00	-	53835.00	7581.00
02.	बयाना राशि जमा	25000.00	370000.00	-	395000.00	निरंक
03.	विविध लेनदार	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
04.	अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट करें)					
i.	विज्ञापन एवं प्रचार (देय)	निरंक	9354.00	निरंक	निरंक	9354.00
ii.	एन्टिवायरस साफ्टवेयर लागत (देय)	निरंक	34528.00	निरंक	निरंक	34528.00
iii.	अंकेक्षण शुल्क (देय)	निरंक	20000.00	निरंक	निरंक	20000.00
iv.	विद्युत लोकपाल व्यय (अनुज्ञप्तिधारियों से अग्रिम प्राप्त)	निरंक	115560.00	निरंक	निरंक	115560.00
v.	विद्युत लोकपाल व्यय (देय)	निरंक	35058.00	निरंक	निरंक	35058.00
vi.	विद्युत एवं पानी व्यय (देय)	निरंक	11318.00	निरंक	निरंक	11318.00
vii.	भाड़ा (आटो रिक्शा) देय	6441.00	6735.00	6441.00	निरंक	6735.00
viii.	भाड़ा (कार) देय	28692.00	26585.00	28692.00	निरंक	26585.00
ix.	अतिथि व्यय (देय)	निरंक	2378.00	निरंक	निरंक	2378.00
x.	मषीनरी एवं उपकरण लागत (देय)	निरंक	57149.00	निरंक	निरंक	57149.00
xi.	मषीनरी एवं उपकरण मरम्मत (देय)	निरंक	2805.00	निरंक	निरंक	2805.00
xii.	सदस्य का मकान किराया (देय)	8000.00	निरंक	8000.00	निरंक	निरंक
xiii.	अन्य कार्यालय व्यय (देय)	निरंक	2560.00	निरंक	निरंक	2560.00
xiv.	अखबार/पत्र व्यय (देय)	1895.00	1246.00	1895.00	निरंक	1246.00
xv.	कार्यालय भवन किराया (देय)	64210.00	64210.00	64210.00	निरंक	64210.00
xvi.	छपाई, लेखन सामग्री एवं मुद्रण (देय)	निरंक	5500.00	निरंक	निरंक	5500.00
xvii.	वेतन एवं भत्ते (देय)	458511.00	480494.00	458511.00	निरंक	480494.00
xviii.	सुरक्षा एवं भवन रक्षण मजदूरी (देय)	8797.00	8797.00	8797.00	निरंक	8797.00
xix.	प्रशुल्क याचिका पुस्तिका का विक्रय (छ.ग.रा.वि.मं. को देय)	निरंक	3550.00	निरंक	निरंक	3550.00
xx.	दूरभाष एवं फैक्स व्यय (देय) *	9494.00	20295.00	9494.00	निरंक	20295.00
xxi.	मजदूरी (देय)	2308.00	2854.00	2308.00	निरंक	2854.00
xxii.	Provisional Receipts from M/s JSPL	निरंक	100000.00	निरंक	निरंक	100000.00
xxiii.	अनुज्ञप्ति शुल्क की वापसी मे. जिंदल स्टील एंड पावर लि. को	निरंक	100000.00	निरंक	निरंक	100000.00
05.	व्यय न हुई अनुदान राशि शासन को प्रतिदेय	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग	674509.00	1481231.00	583848.00	448835.00	1118557.00

* दूरभाष एवं फैक्स व्यय (देय / पूर्वदत्त)		Rs.
देय राशि		23413.00
(-) पूर्वदत्त राषि	500.00	
(-) कटौती योग्य राषि	2618.00	3118.00
दूरभाष व्यय (देय)		20295.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी–5

(देखिये फार्म IV)

उपादान हेतु प्रावधान 31 मार्च 2007

(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
01.	प्रारंभिक शेष	निरंक	
02.	चालु वर्ष में प्रावधान	निरंक	
	योग:	निरंक	
	घटायें: चालु वर्ष में भुगतान	निरंक	निरंक
01.			
02.			
03.			
	शुद्ध शेष	निरंक	निरंक

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी–क

(देखिये फार्म IV)

स्थायी आस्तियाँ 31 मार्च 2007

(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	आस्तियों का विवरण	सकल ब्लाक				अक्षयण की दर	अक्षयण			निवल आस्तियाँ वर्ष के अंत में	
		प्रारम्भिक	जोड़िये	Disposals	योग		प्रारम्भिक शेष 1 अप्रेल 2006 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	अंतिम शेष 31 मार्च 2007 को	गत वर्ष तक	चालू वर्ष तक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01.	भूमि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
02.	भवन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
03.	उपस्कर एवं जुड़नार	1034646.00	13275.00	निरंक	1047921.00	6%	80630.00	62477.00	143107.00	954016.00	904814.00
04.	यंत्र एवं उपकरण	1252497.00	60149.00	निरंक	1312646.00	6%	103668.00	77044.00	180712.00	1148829.00	1131934.00
05.	मोटर गाड़ी	1120112.00	निरंक	निरंक	1120112.00	6%	134414.00	67207.00	201621.00	985698.00	918491.00
06.	पुस्तक एवं प्रकाशन *			निरंक							
07.	उपहार/दान सम्पत्तियाँ	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
08.	अन्य सम्पत्तियां (विनिर्दिष्ट करें)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
09.	सकल योग (1) से (8)	3407255.00	73424.00	निरंक	3480679.00		318712.00	206728.00	525440.00	3088543.00	2955239.00
10.	एन्टिवायरस साफ्टवेयर #	निरंक	34528.00	निरंक	34528.00		निरंक	914.00 #	914.00 #	निरंक	33614.00
11.	पूंजी क्रियमाण कार्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
12.	महा योग (9+10)	3407255.00	107952.00	निरंक	3515207.00		318712.00	207642.00	526354.00	3088543.00	2988853.00
13.	गत वर्ष	2827105.00	580150.00	निरंक	3407255.00		124422.00	194290.00	124422.00	2702683.00	3088543.00

	* पुस्तक एवं प्रकाशन	31851.00	9285.00		41136.00		31851.00	9285.00	41136.00	निरंक	निरंक

देखिये सारणी–ञ की टीप 4

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी–ख

(देखिये फार्म IV)
निवेश 31 मार्च 2007
(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
01.	बैंक में स्थायी जमा		
i.	प्रारंभिक शेष		
ii.	किया गया निवेश		
iii.	निवेश का नगदीकरण		
iv.	अंतिम शेष		
	योग	निरंक	निरंक
02.	राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण पत्र पर निवेश/अन्य प्रतिभूति (विनिर्दिष्ट करें)		
(अ)	प्रारंभिक शेष		
(ब)	किया गया निवेश		
(स)	निवेश का नगदीकरण		
(द)	अंतिम शेष		
	योग	निरंक	निरंक
03.	बैंकों के नाम लिखें		
i.	राशि का विवरण:		
ii.	जमा की तारीख :		
iii.	जमा की समयावधि:		
iv.	देय तिथी :		
v.	ब्याज दर:		
vi.	ब्याज:		
	योग	निरंक	निरंक
	कुल योग (1+2+3)	निरंक	निरंक

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव

सारणी–ग

(देखिये फार्म IV)

आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम 31 मार्च 2007

(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वसूली एवं समायोजन	अंतिम शेष
क.	आकस्मिक अग्रिम				
(अ)	के.लो.नि.विभाग को अग्रिम	निरंक			
(ब)	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान को अग्रिम	निरंक			
(स)	आपूर्तिकर्ता को अग्रिम	निरंक			
(द)	अन्य अग्रिम	निरंक			
	उप–योग	निरंक			
ख.	कर्मचारियों को अग्रिम	निरंक			
(अ)	गृह निर्माण अग्रिम	निरंक			
(ब)	मोटर कार / कम्प्यूटर अग्रिम	निरंक			
(स)	स्कूटर / मोटर साईकिल	निरंक			
(द)	अन्य अग्रिम (यात्रा अग्रिम)	76357.00	390000.00	415989.00	50368.00
	उप–योग	76357.00	390000.00	415989.00	50368.00
ग.	अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें)				
(अ)	गृह निर्माण मंडल को अग्रिम (कार्यालय भवन निर्माण हेतु)	निरंक	900000.00	निरंक	900000.00
(ब)	विद्युत लोकपाल के व्यय (अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्य)	12844.00	निरंक	12844.00	निरंक
	योग	89701.00	1290000.00	428833.00	950368.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार   सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी–घ

(देखिये फार्म IV)

निक्षेप 31 मार्च 2007

(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वापसी	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
01.	प्रतिभूति निक्षेप	4320.00	निरंक	निरंक	4320.00
02.	बयाना राशि निक्षेप	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
03.	अन्य निक्षेप	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग	4320.00	निरंक	निरंक	4320.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार　　　　　　　　　　　　　　　　सचिव

सारणी–ड़

(देखिये फार्म IV)

भविष्य निधि 31 मार्च 2007

(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
क.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि प्रारंभिक शेष जोड़िये: चालु वर्ष मे किये गये निवेश टाईये: निवेश का नगदीकरण	निरंक	
ख.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	निरंक	
	योग	निरंक	निरंक

आंतरिक वित्तीय सलाहकार　　　　　　　　　　　　　　　　सचिव

सारणी–च

(देखिये फार्म IV)

विविध देनदार 31 मार्च 2007

(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	समायोजन	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
क.	नवीन अंषदायी पेंषन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों से वसूली योग्य राषि	26185.00	निरंक	26185.00	निरंक
ख.	बैठक व्यय अंषदान प्राप्य (FOR) से	निरंक	2000000.00	निरंक	200000.00
ग.					
घ.					
	योग	26185.00	200000.00	26185.00	200000.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार　　　　　　　　　　　　　　　　सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी–छ

(देखिये फार्म IV)

अनुदान प्राप्य 31 मार्च 2007

(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
अ.	छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान		
	प्रारंभिक शेष	निरंक	
	जोड़िय: चालू वर्ष में किये गये दावे	16000000.00	
	घटाईये: चालू वर्ष में प्राप्त अनुदान	16000000.00	निरंक
	योग	निरंक	निरंक

आंतरिक वित्तीय सलाहकार सचिव

सारणी–ज

(देखिये फार्म IV)

हस्तस्थ रोकड़ 31 मार्च 2007

(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)
01.	वेतन	निरंक
02.	यात्रा भत्ता	निरंक
03.	आकस्मिक	निरंक
04.	कार्यालय व्यय	3155.00
05.	अन्य (विद्युत लोकपाल) (Electricity Ombudsman Cash Imprest)	2000.00
	योग	5155.00

आंतरिक वित्तीय सलाहकार सचिव

सारणी–झ

(देखिये फार्म IV)

बैंक में रोकड़ 31 मार्च 2007

(1.4.2006 से 31.3.2007)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)
01. 02. 03. 04. 05.	वेतन यात्रा भत्ता आकस्मिक कार्यालय व्यय अन्य	32392750.90
	योग	32392750.90

आंतरिक वित्तीय सलाहकार सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -ञ

(देखिये नियम 3)

दिनाँक 31.3.2007 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं पर टिप्पणी

(1.4.2006 से 31.3.2007)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/लेखाओं पर टिप्पणियाँ

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/लेखाओं पर टिप्पणियाँ–वार्षिक लेखा विवरण के साथ संलग्न किया जाये।

(i) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (यदि कोई मद नगदी आधार पर लेखांकित की गई, स्थायी आस्तियों तथा स्कंध का मूल्यांकन आदि)

(ii) लेखाओं पर टिप्पणियों में संगठन के आधिक्य पर आयकर के लागू न होने के संबंध में, वैधानिक अधिनियमों के संबंध में छूट आकस्मिक दायित्वों का उपचारण आदि इंगित किये जा सकते हैं।

(iii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ लेखाओं का भाग होंगी तथा उन्हें एक पृथक सारणी में, उस सारणी का संदर्भ लेखाओं में उल्लेख करते हुए लेखाओं के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

1. आयोग के लेखाओं को लेखांकन की उदित लेखांकन विधि से तथा ऐतिहासिक लागत मान्यता के आधार पर तैयार किया गया है।

2. स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा मूल्यह्रास विधि से परिकलित किया गया है। मूल्यह्रास, आस्ति की 90% लागत पर परिकलित किया गया है। (10% लागत आस्ति का निस्तारण मूल्य मानी गई है।) तथा आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता आयु निम्नानुसार मान्य की गई है।

क्र.	आस्ति का नाम	लागत का प्रतिशत जो उपयोगी आयु में मूल्यह्रास हेतु लिया गया है	अनुमानित उपयोगी/आयु	मूल्यह्रास की वार्षिक दर
1.	भवन	90%	60	90 ÷ 60 = 1.5%
2.	उपस्कर एवं जुड़नार	90%	15	90 ÷ 15 = 6%
3.	यंत्र एवं उपकरण	90%	15	90 ÷ 15 = 6%
4.	मोटर गाड़ी	90%	15	90 ÷ 15 = 6%

वित्तीय वर्ष के दौरान 30 सितम्बर के पश्चात क्रय की गई स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास, उपरोक्त दरों की आधी दर से परिकलित किया गया है।

3. पुस्तकों एवं प्रकाशनों को क्रय के वर्ष में ही राजस्व व्यय के रुप लिया गया है।

4. क्वीक हील एन्टी वायरस साफ्टवेयर की मियाद उसके स्थापित करने से 3 वर्ष तक की होती है। अतः वर्ष के दौरान उपयोग किये गये दिनों के अनुपात में उसका अपलिखित किया गया है।

5. आयोग की सम्पत्ति व आय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के प्रावधानों के अन्तर्गत, संघीय करारोपण से विमुक्त है।

6. आयोग के किसी भी कर्मचारी ने सेवा के 5 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं अतः मृत्यु सह सेवानिवृत्त उपादान का लेखे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यद्यपि किसी भी कर्मचारी की मृत्यु की दषा में उपादान भुगतान हेतु आकस्मिक दायित्व का वहन चालू राजस्व या छ.ग.वि.नि.आ. कोष (पूंजी निधी) में संग्रहित पूर्व आधिक्य में से किया जावेगा।

7. चूँकि राज्य शासन द्वारा सेवा के दौरान अर्जित अवकाष के समर्पण व नगदीकरण की सुविधा समाप्त की जा चुकी है अतः इसके लिए आयोग के लेखे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यद्यपि वर्तमान वेतन के आधार पर सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर देय अर्जित अवकाष नगदीकरण की सांकेतिक अनुमान राषि ''अनुलग्नक 1'' के अनुसार क्रमषः रु. 39352/– व रु. 207351/– है। उक्त दोनों राषियों में से अधिक राषि को तुलन पत्र दिनांक पर अधिकतम आकस्मिक दायित्व माना जा सकता है जो आकस्मिक प्रकृति का होने की वजह से आयोग के लेखे में नहीं लिया गया है।

8. आयोग ने नवीन अंषदायी पेंषन योजना लागू की है। अतः सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति पेंषन का कोई दायित्व नहीं होगा।

9. पूर्वावधि मद को मानक लेखांकन AS-5 की रीति से दर्शाया गया है। लेखाकंन अवधि में ''शुद्ध लाभ एवं हानि, पूर्वावधि मद एवं लेखाकंन विधि में परिवर्तन परिशिष्ट–2 में मानक लेखांकन के परिपालन में दर्शाया गया है।

10. मेसर्स जिंदल इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड के द्वारा उनकी ओर से लंबित वार्षिक पारेषण अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु रू. 5.00 लाख अनुमानित तौर पर जमा किया गया, जिसे आयोग के आदेश दिनांक 20/04/07 के तहत रू. 3.00 लाख लंबित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 हेतु स्वीकार किया गया एवं रू. 1.00 लाख विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के अंतर्गत दण्डित किया गया एवं शेष रू. 1.00 लाख उन्हें दिनांक 05/06/07 को वापस किया गया है, इस तरह रू. 3.00 लाख का लेखाकंन आयोग के लेखा वर्ष 2006–07 में आयोग शुल्क मद में वास्तविक प्राप्तियों के रूप में किया गया है।

————00000————